उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–1
संख्याः ....../ ।।(1)–2018–01(90)/2003
देहरादूनः दिनांक 13 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

सिंचाई विभाग के अंतर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक–102/04/ ई0 1/डी0पी0सी0/2018–19, दिनांक 11.05.2018 में चयन वर्ष 2017–18 हेतु संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु प्रेषित अधियाचन के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के उक्त पत्र के प्रस्तर–05 में उल्लिखित इंजीरियरिंग ड्राईग सर्विसेज फैडरेशन, उत्तराखण्ड का प्रत्यावेदन दिनांक 18.04.2018 मूलरूप में प्रेषित करते हुये चयन समिति की बैठक दिनांक 17.05.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से पूर्व उक्त प्रत्यावेदन का निस्तारण करते हुए आयोग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2 अवगत कराना है समय की कमी के दृष्टिगत उक्त प्रत्यावेदन के निस्तारण में अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना से लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 17.05.2018 को निर्धारित उक्त चयन समिति की बैठक को शासन के पत्र दिनांक 17.05.2018 द्वारा अस्थगित करने तथा किसी अन्य तिथि को चयन समिति की बैठक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

3 कार्मिक विभाग द्वारा पदों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए पदोन्नति के सुअवसर प्रदान करने पर रोक लगाई गई है। यद्यपि इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2018 में पारित आदेश में कार्मिक विभाग द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है साथ ही कार्मिक विभाग द्वारा इसे लागू करने अथवा न करने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक में मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 23.03.2018 के निर्णय को अमल में लाने अथवा न लाने पर प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करने की कार्यवाही लम्बित होने के मध्यनजर आतिथि तक कोई निर्णय नहीं प्राप्त हुआ है। वर्तमान में शिथिलीकरण पर रोक यथावत है.। जिससे इंजीनियरिंग ड्रांइग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड के शिथिलीकरण के बिन्दु पर विचार नहीं किया जा सकता।

4 यह भी अवगत कराना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड का प्रत्यावेदन श्री महेश चन्द्र पन्त, प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया गया है, जो माह फरवरी 2018 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन कार्मिक अनुभाग–2 के पत्र संख्या–385/XXX(2)/2017–03(9)/2012, दिनांक 26.12.2017 **(प्रतिलिपि संलग्न)** के अनुसार सेवा संघों को मान्यता नियमावली के नियम 5(ग), (ड़) एवं (च) में निम्न प्राविधान के अन्तर्गत ग्राहय नहीं किया जा सकता हैः–

(ग) संघ की सदस्यता कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के (जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है) एक सुभिन्न प्रवर्ग तक सीमित हों और इसमें उस विशिष्ट प्रवर्ग की कुल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व हो।

(ड) कोई ऐसा व्यक्ति, जो कार्यरत सरकारी सेवक न हो, संघ के कार्यकलापों से सम्बद्ध न हों।

(च) पदाधिकारी जिसके अन्तर्गत संघ के कार्य समिति के सदस्य भी हैं, केवल उसके सदस्यों में से ही (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़ते हुए) नियुक्त किये जायेंगे।

5 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2018 के निर्णय में यद्यपि शासनादेश दिनांक 04.09.2017 द्वारा शिथिलिकरण नियमावली, 2010 को अस्थगित करने को निरस्त किया गया है तथापि कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2017 को अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। शिथिलीकरण की व्यवस्था वर्तमान में भी अस्थगित है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रत्यावेदन को अस्वीकृत किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्री महेश चन्द्र पन्त, प्रदेश अध्यक्ष, इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड का प्रत्यावेदन दिनांक 18.04.2018 अग्राहय करते हुये निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक–यथोक्त।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1057/ II(1)–2018–01(90)/2003तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्विसेज फैडरेशन उत्तराखण्ड को उनके पत्र दिनांक 18.04.2018 के क्रम में।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
13/6/18
(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।